आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकःएफ20(103)लेखा/बजट/एस.एफ./आकाशि/2021–22/117 दिनांक 7/04/2022

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविघालय
(पुरूष/महिला/विधि/अ.ज.जा. क्षैत्र)
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
क्षैत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

विषयः– बजट प्रबन्धन प्रकिया के संचालन संबंधी दिशा निर्देश ।
संदर्भः– शासन सचिव, वित्त (बजट) का पत्रांक प.4(48)वित्त–1 (1)आ.व्य./2021 दिनांक 29.03.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में शासन सचिव, वित्त (बजट) की कमांक प 4(18)वित्त1(1)/आ. व्यय/2021 दिनांक 29.03.2022 की प्रति संलग्न कर लेख है कि पत्र में वर्णित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

सलंग्न– उपरोक्तानुसार

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकःप.4(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2022 जयपुर, दिनांक : 31 मार्च, 2022

<u>परिपत्र</u>

विषय :– आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2022–23।

राजस्थान विधान सभा द्वारा वर्ष 2022–23 की अनुदान मांगों को चर्चा उपरान्त स्वीकृत कर तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2022 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अतः समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी अपनी वित्तीय शक्तियों के अनुसार आय–व्ययक अनुमानों में अंकित की गई राशि की सीमा तक संबंधित अनुदानों का निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए IFMS के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 में नियमानुसार उपयोग कर सकते है :–

1– **<u>स्वीकृत बजट प्रावधान की सीमा की अनुपालना:–</u>**

(i) लोक वित्तीय प्रबन्धन की दृष्टि से वित्तीय वर्ष के दौरान राजकीय व्यय की समान गति बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। अतः विभागों द्वारा संबंधित बजट मदों के अन्तर्गत किये गये बजट प्रावधानों का वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह में समानुपाती व्यय सुनिश्चित किया जावे।

(ii) जिन मामलों में प्रावधान नवीन सेवा हेतु स्वीकृत किए गए हैं या जिनमें एकमुश्त प्रावधान बजट निर्णायक समिति (BFC) की बैठक में पत्रावली पर सहमति की शर्त पर प्रस्तावित किए गए हैं, उन मामलों में वित्त (व्यय) विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाकर ही व्यय किया जाना है। इस हेतु नियंत्रण अधिकारी प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग के संबंधित व्यय अनुभाग को प्रकरण संस्वीकृति हेतु अवश्य प्रेषित करें। पत्रावली पर सहमति की शर्त पर प्रस्तावित प्रावधानों के संबंध में वित्त (व्यय) विभाग की सहमति उपरान्त ही वित्त (बजट) विभाग द्वारा ये प्रावधान ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाऐंगे।

(iii) वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने एवं संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी लेखा शीर्ष में बजट नियंत्रण अधिकारियों को अतिरिक्त बजट आवंटन (Additional Authorisation)केवल पुनर्विनियोजन (Reappropriation)अथवा अनुपूरक अनुदान (Supplementary Demand)के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जा सकता है। अतः तात्कालिक आवश्यकता/अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर पुनर्विनियोजन हेतु बजट नियमावली के प्रावधान के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति ली जावे।

कमरा नं. 5137, वित्त (आय–व्ययक) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–302005
दूरभाष नं. 0141–2924452 आई.पी. नं.–24452, फैक्स नं. 0141–2227799
website : www.finance.rajasthan.gov.in, e-mail : fdbudget@rajasthan.gov.in

(iv) केन्द्रीय सहायता से चलने वाली योजनाओं में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात ही केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि मद में प्रावधित राशि व्यय की जावे।

(v) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार सभी प्रशासनिक विभागों/बजट नियंत्रण अधिकारियों से यह सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित है कि निधियों को तभी आहरित किया जायें जब भुगतान करने की आवश्यकता हो। बजट अनुदान को व्ययपगत (Lapse) होने से बचाने की दृष्टि से निधियों को आहरित कर उन्हें लोक लेखे या बैंक में जमा नहीं किया जावे।

2— **<u>नवीन सृजित पदों, क्रमोन्नत पदों तथा रिक्त पदों पर नियुक्तिः—</u>**

(i) दिनांक 01.04.2021 के पश्चात् सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों, बजट घोषणाओं/वित्त विभाग की सहमति से नवसृजित पदों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित राजकीय विभाग सेवा नियम के अनुसार भर्ती/नियुक्ति कर सकेंगे और चरणबद्ध तरीके से भर्ती की कार्ययोजना तैयार करेगे जिससे किसी भी कार्मिक/अधिकारी के पद रिक्त होने पर कार्मिक उपलब्ध हो सके।

(ii) मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों एवं विशेष योग्यजन के लिए सेवा नियमों के अनुसार आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) नवीन सृजित पदों, क्रमोन्नत पदों तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 (रेप्सर एक्ट) की पालना सुनिश्चित करते हुये वित्त विभाग की पूर्व सहमति से की जा सकेगी।

3— **<u>राजकीय भवन निर्माण :—</u>**

(i) नवीन भवन निर्माण कार्य, भवन परिवर्धन तथा भवन मरम्मत कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र क्रमांक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.7.2009 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(ii) अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित विभाग यथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, वन विभाग इत्यादि कार्यान्वियन में मितव्ययता बरतेंगे और अपने स्तर से निर्माण कार्यों में मितव्ययता बरतने संबंधी आवश्यक दिशा—निर्देश भी जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4— **<u>व्यय के आंकड़ों का अंकमिलान :—</u>**

व्यय के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों से समय—समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराया जाना अपेक्षित हैं, समायोजन द्वारा भुगतान की जाने वाली देयताओं का पूरा लेखा—जोखा रखा जाये तथा व्यय स्वीकृत प्रावधान को ध्यान में रखकर ही किया जाये।

5— **राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 की पालना :—**

सभी विभागों से यह भी अनुरोध है कि राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 की पालना मेंयह सुनिश्चित करें कि दैनिक मजदूरी पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति प्रतिषिद्ध (Prohibited) होगी।

6— **वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं का सरलीकरण :—**

वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर सुगम बनाने के उद्देश्य से परिपत्र क्रमांक प. 4(48)वित्त—1(1)आ.व्य./2021 दिनांक 29.03.2022 जारी किया गया है। कृपया उसकी अनुपालना सुनिश्चित करावें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
8. राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम विभाग), राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रम।
10. प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) को पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त(बजट)

[०५/2022]

कमरा नं. 5137, वित्त (आय व्ययक) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर–302005
दूरभाष नं. 0141–2924452 आई पी नं.–24452, फैक्स नं. 0141-2227799
website : www.finance.rajasthan.gov.in, e-mail : fdbudget@rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक: प.4(48)वित्त–1(1)आ.व्यय/2021 जयपुर, दिनांक : 29-03-2022

परिपत्र

बजट प्रबन्धन प्रक्रिया के संचालन संबंधी **परिपत्र क्रमांक प.4(48)वित्त–1(1)आ. व्य./2021 दिनांक 06.09.2021 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, इसकी निरन्तरता में** वित्तीय प्रबन्धन प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर सुगम बनाने के उद्देश्य से दिनांक 01.04.2022 से निम्न प्रक्रियाऐं एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत प्रारम्भ की जा रही है:–

1. सुगम समेकित (Consolidated) Pool बजट–

वित्त विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी को Pool के रूप में समेकित (Consolidated) बजट आवंटन किया जायेगा। बजट नियंत्रण अधिकारी के अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों/निर्माण खण्डों द्वारा बिल बनाने पर बिल की राशि समेकित Pool में से आहरण एवं वितरण अधिकारी/निर्माण खण्डों को सिस्टम पर स्वतः उपलब्ध हो जायेगी। विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों/निर्माण खण्डों को बजट आवंटन/पुनर्वितरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अन्तर्गत –

(i) Pool बजट के अन्तर्गत होने वाले भुगतान संवेतन, मजदूरी, पेंशन, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, जल एवं विद्युत, टेलीफोन एवं किराया दर एवं रायल्टी के अतिरिक्त अन्य सभी विस्तृत मद (Object Head) BFC Minutes की शर्तों के अनुरूप तथा विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बद्ध कर ही व्यय किया जावे।

(ii) कार्यालयवार स्वीकृत पद, सर्विस कैटेगरीवार, कार्मिक की Employee ID, आदि के आधार पर वेतन का आहरण किया जा सकेगा।

(iii) वित्तीय वर्ष 2021–22 तक निर्माण विभागों (PWD/PHED/Forest/WR/CAD) को आवश्यकतानुसार वित्त विभाग द्वारा साख सीमा (LOC) जारी की जा रही है। **दिनांक 01.04.2022 से साख सीमा प्रक्रिया समाप्त की जाती है।** निर्माण विभागों को अपने स्वयं से संबंधित बजट शीर्षों में पूर्ण बजट पूल (Pool) के रूप

में उपलब्ध रहेगा। निर्माण विभागों के अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों/निर्माण खण्डों को AFS module की स्वीकृति के अनुसार बिल बनाने पर बिल की राशि समेकित Pool में से सिस्टम पर स्वतः उपलब्ध हो जायेगी। **विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन/पुर्नवितरण की आवश्यकता नहीं होगी।**

(iv) बजट नियमावली (भाग–I) के बिन्दु संख्या 20.23 के अनुसार मांग संख्या 19, 20, 21 तथा बजट शीर्ष 2059, 4059, 2216, 4216, 3054 व 5054 में संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। **संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आधार पर सम्बन्धित निर्माण विभाग को तदनुसार बजट आवंटन किया जावे।** सम्बन्धित निर्माण विभाग के अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों/निर्माण खण्डों को AFS module की स्वीकृति के अनुसार बिल बनावें। बिल की राशि समेकित Pool में से सिस्टम पर स्वतः उपलब्ध हो जायेगी।

(v) जिन विभागों द्वारा निर्माण विभागों (PWD/PHED/Forest/WR/CAD) के माध्यम से कार्य करवाया जाना है उन विभागों द्वारा निर्माण विभागों को यथा समय संबंधित बजट शीर्षों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण विभाग के संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी को बजट उपलब्ध करवाया जायेगा। निर्माण विभागों के अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों/निर्माण खण्डों को AFS module की स्वीकृति के अनुसार बिल बनावें। बिल की राशि समेकित Pool में से सिस्टम पर स्वतः उपलब्ध हो जायेगी। विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन/पुर्नवितरण की आवश्यकता नहीं होगी।

2. <u>बिलों की सिस्टम पर स्वतः उपलब्धता –</u>

वित्तीय वर्ष 2021–22 के अन्त में बकाया बिल सिस्टम पर उपलब्ध रहेंगे। ऐसे बिल वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध बजट के आधार पर कोषालयों द्वारा पारित किये जा सकेंगे।

3. <u>सरलीकृत प्रतिशतता चार्जेज</u> –

वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में पूंजीगत निर्माण कार्यों में निर्माण कार्य एवं प्रतिशतता चार्जेज के पृथक–पृथक बजट शीर्षों में प्रावधान किया जा रहा है तथा राजकोष/वॉम मॉड्यूल में निर्माण कार्य एवं प्रतिशतता चार्जेज के पृथक–पृथक

बिल बनाये जाते हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिनांक 01.04.2022 से पूंजीगत व्यय के बजट शीर्षों के अन्तर्गत प्रोरेटा/प्रतिशतता की राशि सहित निर्माण कार्यों का एक ही बजट शीर्ष में ईकजाई (Consolidated) बजट प्रावधान किया गया है। **वॉम मॉड्यूल में विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की पूर्ण राशि का इकजाई (Consolidated) का ही बिल बनाया जायेगा एवं उस बिल में से प्रोरेटा/प्रतिशतता चार्जेज की राशि IFMS सिस्टम पर पूंजीगत शीर्षों में व्यय के रूप में राशि में एवं राजस्व व्यय मद में वसूली स्वतः प्रदर्शित होगी।**

4. <u>ऑनलाईन निजी निक्षेप खाते खोलने की प्रक्रिया</u> –

दिनांक 01.04.2022 से वित्त विभाग द्वारा निजी निक्षेप खाते खोलने हेतु सभी विभागों से प्रस्ताव Online ही प्राप्त किए जायेगें। विभाग प्रस्ताव अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को Online ही प्रेषित करेगें।

5. <u>निजी निक्षेप खाते में Online राशि हस्तांतरण की सुविधा</u> –

दिनांक 01.04.2022 से वित्त विभाग द्वारा निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तांतरण की Online स्वीकृति हेतु सभी विभागों से प्रस्ताव Online ही प्राप्त किए जायेगें। विभाग द्वारा प्रस्ताव अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किए जायेगें।

6. <u>Online अतिरिक्त आंवटन, पुनर्विनियोजन सुविधा</u> –

अतिरिक्त आंवटन, पुनर्विनियोजन से संबंधित प्रस्ताव दिनांक 01.04.2022 से विभाग द्वारा Online प्रेषित किए जाने पर ही वित्त विभाग द्वारा स्वीकार किए जायेगें। किसी बजट शीर्ष में स्वीकृत बजट प्रावधानों के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर यथा संभव पुनर्विनियोजन (Re-Appropriation) के माध्यम से ही संबंधित शीर्ष में अतिरिक्त बजट प्राप्त किया जावे।

विभाग प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सक्षम स्तर से वांछित अनुमोदन उपरान्त पुर्नर्विनियोजन स्वंय के स्तर पर ही IFMS पर किया जाना सुनिश्चित करें। विभाग की सक्षमता नहीं होने की स्थिति में ही पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को Online अग्रेषित किए जा सकेगें।

पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त राशि प्राप्त किया जाना संभव न होने की स्थिति में ही अतिरिक्त अधिकृति के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को Online प्रेषित किये जावे।

7. <u>विभिन्न आईटम्स की Online स्वीकृति –</u>

दिनांक 01.04.2022 से पदों के सृजन/विलोपन, मशीन विद मैन, किराये के वाहन, वाहन क्रय एवं कम्प्यूटर/डेस्कटॉप/सर्वर/प्रिन्टर आदि के प्रस्ताव विभाग द्वारा IFMS पर Online ही प्रस्तुत किए जायेगें। उक्त प्रस्तावों पर वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसार उसी समय वित्त (व्यय) विभाग के स्तर पर IFMS पर नवीनतम स्थिति उपलब्ध होगी।

8. <u>व्यय की system पर जांच सुविधा</u> –

बजट नियंत्रण अधिकारी को भी अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की विस्तृत बजट मदवार पूर्ण सूचना सिस्टम पर जाँच हेतु उपलब्ध रहेगी। विभाग में पदस्थापित लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा व्यय की monitoring की जायेगी।

Online सुविधा https://ifms.raj.nic.in के WAM Module, RajKosh Module, PayManager Module, Budget Module पर उपलब्ध है।

तकनीकी सहायता के लिए वित्त विभाग सचिवालय में स्थित हैल्पडेस्क (0141–2924501) पर या ई–मेल (ifms-rj@nic.in) पर सम्पर्क किया जा सकता है। उक्त प्रक्रियाओं का वर्चुअल प्रशिक्षण पृथक से दिया जायेगा।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(सुधीर शर्मा)
शासन सचिव, वित (बजट)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार, राजस्थान
2. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव
4. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग
5. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग
6. शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार
8. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग
10. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) को सिस्टम में आवश्यक प्रावधान करवाने हेतु।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1, 2, 3, 4, 5) विभाग
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस परिपत्र के बिन्दुओं के संदर्भ में विभिन्न Modules का integration प्राथमिकता के आधार पर करावें जिससे system जनित validation सुनिश्चित हो सके।
13. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–

(1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
(2) सचिव, राजस्थान विधान सभा।
(3) रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
(4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
(5) सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[03/2022]